संख्या–1105 /XX–2/2022–5(02)(10)/2022

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 28 जून, 2022

विषय– उत्तराखण्ड कारागार विभाग में बंदीरक्षक संवर्ग एवं प्रधान बंदीरक्षक संवर्ग का वेतनमान पुनरीक्षित कर उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–3629/2017 (एस0एस0) योगेश चन्द्र मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–12–2021 के अनुपालन एवं शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड कारागार विभाग में बंदीरक्षक संवर्ग एवं प्रधान बंदीरक्षक संवर्ग का वेतनमान निम्न तालिकानुसार पुनरीक्षित करते हुए तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :–

क्र. सं.	पद संवर्ग	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित/उच्चीकृत वेतनमान
1.	बंदीरक्षक	रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2000
		पुनरीक्षित रू0 19,900–63,200 (लेवल–2)	वेतनमान रू0 21,700–69,100 (लेवल–3)
2.	प्रधान बंदीरक्षक	रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2000	रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400
		पुनरीक्षित रू0 21,700–69,100 (लेवल–3)	पुनरीक्षित रू0 25,500–81,100 (लेवल–4)

2– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या–1/45482/2022, दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

पत्र प्रा.पंजि.सं.- 1389 1380 दि.- 1/7/2
मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
महानिरीक्षक कारागार

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner